न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई-आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 08/2024
प्रकरण दर्ज तिथि :— 11.03.2024
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/76

पुखराज पुत्र श्री धन्नाराम, उम्र—70 वर्ष, जाति मेगवाल, निवासी देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. **प्रार्थी**

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र श्री देवाराम, उम्र—वयस्क,
2. रोशनलाल पुत्र श्री देवाराम, उम्र—वयस्क,
3. भंवरीदेवी पत्नि श्री देवाराम, उम्र—वयस्क, समस्त अप्रार्थीगण जातियान मेगवाल निवासी देवलीं कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
4. तहसीलदार बजरिये (लैण्ड होल्डर) रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u>

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी उपस्थित
2 अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 01 से 03 की ओर श्री मनीष साहू उपस्थित एवं सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— 21.08.2025

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी की ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमाबंदी संवत् 2076—2079 के नया खाता सं. 507 खसरा सं. 2269/2117 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा सं. 399/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रक्बा 2.1610 हैक्टेयर मे पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे प्रार्थना पत्र मे प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा प्रार्थनाग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सवत् 2076—2079 की प्रमाणित प्रति एवं चालु जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें । उपरोक्त खातेदारी जमीन मे प्रार्थी का हक व हिस्सा आता है, तथा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। खाता सं. 507 जो प्रार्थी के पिता धन्नाराम के फौत होने से उनका फौतेदगी नामान्तरण भरते समय भूल व गलती से प्रार्थी का नाम पुखराज के स्थान पर बोलता नाम पुखाराम दर्ज कर दिया है। जो गलत हो गया जिसे न्यायहित मे सुधारा जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी को दिनांक 25—12—2023 को अपने हिस्से की भूमि पर प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत छः हजार रूपये नही आने पर प्रशासन गॉवों के संग एवं महगाई राहत कैम्प मे उपस्थित होकर रूपयो आने हेतु आवेदन पेश करने हेतु जमाबन्दी निकालने पर उक्त गलती की जानकारी हुई जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज रेकर्ड है तब प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का महोदय से सम्पर्क किया, तथा नाम संशोधन करवाने का निवेदन किया, तो उन्होने न्यायलय कि शरण में जाकर वहा प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लाकर देने का कहने पर एवं प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई साधन नहीं होने का बताने पर प्रार्थना

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, अतः प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम पुखाराम के स्थान पर पुखराज संशोधन अपने नाम करवाने का अधिकारी है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। प्रार्थी की ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के नया खाता सं. 507 खसरा सं. 2269/2117 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा सं. 399/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रक्बा 2.1610 हैक्टेयर मे पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई है। विवादित भूमि मे प्रार्थी के पिता धनाराम के फौत होने से उनका फौतेदगी नामान्तरण भरते समय भूल व गलती से प्रार्थी का नाम पुखराज के स्थान पर बोलता नाम पुखाराम दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड मे एवं अन्य राजकीय दस्तावेज मे नाम पुखराज है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज पुखाराम पुत्र श्री धन्नाराम के स्थान पर पुखराज पुत्र श्री धन्नाराम संशोधन करने का आदेश प्रदान करावे। जिससे प्रार्थी को होने वाली हानि से बचाया जा सकें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ओर से अधिवक्ता श्री मनीष साहू ने वकालतनामा मय इकवालिया जवाव पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाव में अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी को पुखराज को लाड प्यार से पुखाराज कहने से ग्राम देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमावंदी संवत् 2076–2079 के नया खाता सं. 507 खसरा सं. 2269/2117 रकवा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा सं. 399/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.1610 हैक्टेयर प्रार्थी के पिता धनाराम के फौत होने से उनका फौतेदगी नामान्तरण भरते समय भुल व गलती से प्रार्थी का नाम पुखराज के स्थान पर बोलता नाम पुखाराम दर्ज कर दिया है। जो सही नहीं है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। इसलिए विवादित भूमि मे दर्ज पुखाराम पुत्र धन्नाराम के स्थान पर पुखराज पुत्र धन्नाराम किया जाता है तो हमे कोई उजर एतराज नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार है एवं प्रार्थी की इस्तेदुआ स्वीकार की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कई उजर एतराज नही हैं। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/भूअ/25/2700 दिनांक 11.08.2025 के संवंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें पटवारी हल्का की जांच अनुसार ग्राम देवलीकलां पटवार मंडल देवलीकलां के खसरा नम्बर 2269/2117, 399/1 कुल रकवा 2.1610 हैक्टेयर भूमि में पुखाराम पुत्र धनाराम हिस्सा 1/2 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर उपस्थित पडौस खातेदारों व ग्रामवासियों ने पूछताछ में बताया कि उक्त भूमि पर पुखराज पुत्र धनाराम जाति मेगवाल का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हैं तथा प्रार्थी के नाम के संबंध में बताया कि पुखराज व पुखाराम एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड में पुखराज पुत्र धनाराम नाम हैं। इस प्रकार पुखाराम पुत्र धनाराम का सही नाम पुखराज पुत्र धन्नाराम होने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम पुखराज ही हैं एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का सही नाम पुखराज ही बताया हैं इसीलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में पुखाराम के स्थान पर पुखराज नाम संशोधन के आदेश फरमावें।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी दौराने वहस कथन किया कि प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम पुखराज ही हैं एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही नाम पुखराज ही बताया हैं इसीलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में पुखाराम के स्थान पर पुखराज नाम संशोधन के आदेश फरमावें तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् सरहद मौजा देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमावंदी संवत् 2076–2079

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

के नया खाता सं. 507 खसरा सं. 2269/2117, खसरा सं. 399/1 में दर्ज नाम पुखाराम पुत्र धनाराम के स्थान पर पुखराज पुत्र धनाराम नाम संशोधन दर्ज करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा देवली कलां पटवार हल्का देवली कलां भू. अभि. नि. क्षैत्र देवली कलां, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के नया खाता सं. 507 खसरा सं. 2269/2117, खसरा सं. 399/1 में दर्ज नाम पुखाराम पुत्र धनाराम के स्थान पर पुखराज पुत्र धनाराम नाम संशोधन दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजा जावें।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)